पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 04, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–47

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	835–839	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	673–690	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	65–66	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	137–149	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

शिक्षा अनुभाग–6(उच्च शिक्षा)

अधिसूचना

03 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 1067/XXIV(6)/2017–03(21)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, क्वांटम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2017) की धारा 01 की उपधारा 02 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने की एतद्द्वारा दिनाँक 03 नवम्बर, 2017 की तारीख नियत करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

संशोधन विज्ञप्ति

18 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 1895/XLI–1/17–104/14 टी0सी0 IV–प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता, भौतिकी के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 828/नि0प्रा0शि0/नियु0काउ0/2017–18, दिनाँक 22.08.2017 के क्रम में शासनादेश संख्या 1655/XLI–1/17–104/14 टीसी0 IV, दिनाँक 11.09.2017 द्वारा नियुक्ति/तैनाती की गई।

2. रिट याचिका संख्या 441/2017 नम्रता दयाल एवं अन्य बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 04.10.2017 एवं रिट याचिका संख्या 470/2017, विवेक पच्छिमी एवं अन्य बनाम राज्य में, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 07.10.2017 के क्रम में विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1655/XLI–1/17–104/14 टीसी IV, दिनाँक 11.09.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए याचिकाकर्ताओं को प्रवक्ता, भौतिकी (वेतनमान ₹ 15,000–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400) के पद पर दिनाँक 29.05.2017 को आयोजित काउन्सिलिंग के आधार पर तालिका के कॉलम–3 के अनुसार उल्लिखित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अनन्तिम रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम/गृह जनपद	तैनाती स्थल
1	2	3
1.	सुश्री नम्रता दयाल/पिथौरागढ़	रा0म0पा0, अल्मोड़ा
2.	मुकेश कुमार सिंह/ऊधमसिंह नगर	रा0पा0, टनकपुर, चम्पावत
3.	श्री विनीत गौड/रूद्रप्रयाग	रा0पा0, रूद्रप्रयाग
4.	श्री विवेक पच्छिमी/उत्तरकाशी	रा0पा0, उत्तरकाशी
5.	सुश्री रचना रावत/पौड़ी गढ़वाल	रा0पा0, हरिद्वार

3. उक्त अनुमति रिट याचिका संख्या 441/2017, नम्रता दयाल एवं अन्य बनाम राज्य में एवं रिट याचिका संख्या 470/2017, विवेक पच्छिमी एवं अन्य बनाम राज्य में, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1655/XLI–1/17–104/14 टीसी IV, दिनाँक 11.09.2017 के द्वारा श्री दीपक कुमार की तैनाती/नियुक्ति राजकीय पॉलिटेक्निक, कनालीछीना, पिथौरागढ़ में की गयी थी। उक्त आदेशों के क्रम में श्री दीपक कुमार द्वारा उक्त संस्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री दीपक कुमार की तैनाती/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 441/2017 नम्रता दयाल एवं अन्य बनाम राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

5. संबंधित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों में उपलब्ध कराते हुए, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1655/XLI–1/17–104/14 टीसी IV, दिनाँक 11.09.2107 के अनुसार यथावत् बने रहेंगे।

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–8

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2017 ई0

संख्या 867/XX–(8)2017–11(10)2016–श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (घ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस संबंध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद नैनीताल के अन्तर्गत स्थापित थाना मुक्तेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से अवस्थित क्षेत्र के अतिरिक्त मुक्तेश्वर क्षेत्र के 30 राजस्व ग्रामों (संलग्न परिशिष्ट–1) को भी नियमित पुलिस थाना, मुक्तेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित करते हुए, अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट–1 में राजस्व पुलिस क्षेत्र के 30 गाँव नियमित पुलिस थाना, मुक्तेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित होंगे तथा राजस्व पुलिस के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

अधिसूचना सं0 867/XX–(8)2017–11(10)2016, दिनाँक 27 सितम्बर, 2017

जनपद नैनीताल के थाना मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व क्षेत्र/ग्रामों की सूचीः–

क्र0 सं0	सम्मिलित ग्रामों के नाम	क्र0 सं0	सम्मिलित ग्रामों के नाम
1	2	3	4
01	मझेड़ा	11.	भज्यूठी
02.	चकरूसी	12.	अनोठी
03.	चौखुटा	13.	पंगराडी
04.	सुनकिया	14.	पोखरी
05.	वना	15.	पिठौली
06.	कोकिलबना	16.	दरमोली
07.	गजार	17.	ल्वेशाल
08.	शसबनी	18.	मटियाली
09.	परवड़ा	19.	सिरमोली
10.	गहना	20.	दनकन्या

1	2	3	4
21.	बखसुनारखोला	26.	सतबुंगा
22.	खैरदा	27.	दाड़िम
23.	नथेली	28.	लोध
24.	मुक्तेश्वर	29.	गल्ला
25.	सूपी	30.	खपराड

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

25 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 1735/VII–2–17/61–एम0एस0एम0ई0/2016–भारत सरकार द्वारा सहायतित सी0आई0पी0ई0टी0 (Central Institute of Plastic Engineering and Technology) सेन्टर को उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जिले में स्थापित करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 1434/XXXI(4)/17–06 (विविध)/2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री मदन मोहन भारद्वाज, वरिष्ठ निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त प्रमुख निजी सचिव, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स, लेवल–12, ₹ 78,800–2,09,200) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक को प्रमुख निजी सचिव के पद पर 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उपरोक्त प्रमुख निजी सचिव वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए, सचिवालय प्रशासन (अधि0), अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

4. संबंधित कार्मिकों की उपरोक्तानुसार पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका (S.L.P.) संख्या–10600–10601/2011, श्री कृष्ण कुमार मदान व अन्य बनाम अशोक कुमार व अन्य एवं मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 239/2016(एस0/बी0), श्री हरिदत्त देवतला एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार, यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित/परमार्जित किया जायेगा।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 हिन्दी गजट/675–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 04, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

September 20, 2017

No. 221/UHC/XIV-a/58/Admin.A/2012--Ms. Neha Qayyum, Judicial Magistrate, Pithoragarh is hereby sanctioned medical leave for 21 days *w.e.f.* 17.08.2017 to 06.09.2017.

NOTIFICATION

September 20, 2017

No. 222/UHC/XIV-a-23/Admin.A/2011--In terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand, Ms. Shivani Pasbola, Additional Chief Judicial Magistrate, Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned child care leave for 54 days *w.e.f.* 17.07.2017 to 08.09.2017.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,

HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

October 30, 2017

No. No. 1028/III-B-2009-10/SLSA/2017--In exercise of the powers conferred under Section 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987, provisions of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 (Subsequent Amendment Rules, 2016) and pursuant to the recommendation of the Hon'ble High Court of Uttarakhand and pursuant to the notifications of the State Government,

the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital hereby appoints the following Judicial Officers and Persons as Chairmen and Members respectively in the Permanent Lok Adalats mentioned against their names in the following Table :

Sl. No.	Place of the Permanent Lok Adalat	Name of Chairmen	Name & Address of Members	Jurisdiction of Permanent Lok Adalat
1.	**Dehradun**	**Mr. Ashish Naithani** (As per direction, he has also been given additional charge of Chairman, State Transport Appellate Tribunal, Dehradun and he shall hold the office of State Transport Appellate Tribunal, Dehradun for two days in a week)	**Mr. Upendra Singh** R/o Village, Mohanpur, P.O. Milapnagar, Tehsil Roorkee, District Haridwar-247667 **Mrs. Manjushree Saklani** R/o12, Akashdeep Colony, Ballupur Road, Dehradun	**Whole of the District Dehradun**
2.	**Haridwar**	**Mr. Shanker Raj**	**Dr. Peeyush Kumar Garg** R/o 5, Nagendra Vihar, Delhi Road, 3 K.M. Stone, N.H. 58, P.O. Milapnagar, Roorkee-247667 **Mrs. Anjaly Maheshwari** R/o 66A, Binkeshwar Colony, Kankhal, Haridwar-249401	**Whole of the District Haridwar**
3.	**Nainital**	**Mr. Om Kumar**	**Mr. Hemant Singh Rana** R/o Village Salmatta, Post Vidora, Tehsil Sitarganj, District Udham Singh Nagar-262405 **Mr. Yogesh Kumar Joshi** R/o C/o Arunima Career Classes, Jail Road Chauraha, Sangudi Garden, Kaladhungi Road, Haldwani, Nainital	**Whole of the District Nainital and also whole of the District Champawat**
4.	**Udham Singh Nagar**	**Mr. Bharat Bhushan Pandey**	**Mr. Umesh Chandra Joshi** R/o Village & Post Kundeshwari, Tehsil Kashipur, District Udham Singh Nagar -244713 **Ms. Subhashini Dwivedi** R/o M.I.G. 328, Avas Vikas Colony, Ward No. 19, Rudrapur, Udham Singh Nagar	**Whole of the District Udham Singh Nagar**

Note :

1. This order will come into force with immediate effect and all the abovementioned Chairmen and Members, Permanent Lok Adalats shall take over charge of their posting on or before 6th November, 2017 in their respective districts.

2. Tenure of the abovementioned Members, Permanent Lok Adalats shall be five years or till the age of 65 years age, whichever is earlier and shall be calculated from the day they assume their charge. State Authority may remove any Member from the office of Permanent Lok Adalat before completion of this tenure in light of Rule 5 of Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003.

3. Before joining, the abovementioned Members, Permanent Lok Adalats shall have to give an undertaking before respective District Judge/Chairman, District Legal Services Authority that he/she does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Members.

By Order of Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Member Secretary.

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि अनुभाग)

07 नवम्बर, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 3812/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी आदेश संख्या 3771/आ0रा0क0उ0/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017–18 एवं अधिसूचना संख्या 3795/आ0रा0क0उ0/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017, समदिनांकित 06 नवम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः प्ररूप जी0एस0टी0 टीआरएएन–1 में घोषणा दाखिल करने की तिथि 30 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाए जाने एवं माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2017 हेतु प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी फाइल करने के लिए अन्तिम तिथि घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी किये जाने विषयक हैं।

उपरोक्त आदेश/अधिसूचना, इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश/अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड
(राज्य कर विभाग)
अधिसूचना

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 3795/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017–18–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त एतद्द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट करती हूँ कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर–3ख में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्:–

सारणी

क्रम संख्या	मास	प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी फाइल करने के लिए अन्तिम तारीख
1.	अगस्त, 2017	20 सितम्बर, 2017
2.	सितम्बर, 2017	20 अक्टूबर, 2017
3.	अक्टूबर, 2017	20 नवम्बर, 2017
4.	नवम्बर, 2017	20 दिसम्बर, 2017
5.	दिसम्बर, 2017	20 जनवरी, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर–3ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का संदाय–प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा दी गई अन्तिम तारीख, जिस तक उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, से पूर्व यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही या इलेक्ट्रानिक प्रत्यय बही के नामे खाते डालकर करेगा।

NOTIFICATION

November 06, 2017

No. 3795/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18--In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal on or before the last dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:--

Table

Sl. No.	Month	Last Date for filing of return in **FORM GSTR-3B**
(1)	(2)	(3)
1.	August, 2017	20th September, 2017
2.	September, 2017	20th October, 2017
3.	October, 2017	20th November, 2017
4.	November, 2017	20th December, 2017
5.	December, 2017	20th January, 2018

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B--**Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3b shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as detailed in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

विषयः–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 120क के अधीन प्ररूप जी0एस0टी0 टीआरएएन–1 में घोषणा दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाए जाने विषयक।

संख्या 3771/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017–18–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 120क सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, प्ररूप जी0एस0टी0 टीआरएएन–1 में घोषणा दाखिल करने की तिथि, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाती हूँ।

सौजन्या,
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

Order

November 06, 2017

Subject : Extension of time limit for submitting the declaration in FORM GST TRAN-1 under rule 120A of the Uttarakhand Goods and Service Tax Rules, 2017.

No. 3771/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18--In exercise of the powers conferred by rule 120A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby, extends the period for submitting the declaration in **FORM GST TRAN-1** till 30th November, 2017.

SOWJANYA,

Commissioner State Tax,

Uttarakhand.

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी

आदेश

11 सितम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 418/लाइसेन्स निलम्बन/प्रशासन/2017–विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों द्वारा वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत ओवरलोडिंग आदि अभियोगों में संलिप्त निम्न चालक के लाइसेंस के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, कर एवं पंजीयन अधिकारी, उत्तरकाशी के दायित्वों के अन्तर्गत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 03 माह की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगाः–

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	प्रवर्तन अधिकारी का पदनाम	चलान में लगाये गये अभियोग	लाइसेन्स के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, ग्राम–गढ़, पो0–न्यूबरसाली, उत्तरकाशी	UK-1020030007037, FOR-MGWG(NT), LMV(NT), LMV-GV(TR), LMVCAB(TR) Onty Validity 30.03.2018	ARTO(E), Uttarkashi	1. सुस्पष्ट संकेत देने पर भी गाड़ी भगाया, 2. अत्यंत तीव्र गति से खतरनाक संचालन करते पाया गया, 3. 31.03.2016 के बाद कर जमा का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित

1	2	3	4	5	6
2.	श्री नवीन सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, ग्राम–मथाली, पो0आ0–जिब्या, उत्तरकाशी	UK-1020080002851, FOR LMV(NT), LMVCAB(TR), onty Validity 07.07.2018	ARTO(E), Uttarkashi	1. वाहन के परमिट की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई, 2. वाहन में कुल 09 सवारी के सापेक्ष 15 सवारी बैठी पाई गई, 3. वाहन की छत पर कुल 05 सवारी बैठी पाई गई, असुरक्षित संचालन। D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
3.	श्री प्रबेश प्रसाद पुत्र श्री शान्ति प्रसाद, ग्रा0 व पो0–ज्ञानसू, उत्तरकाशी	UK-1020120004673, FOR-MGWG(NT), LMV(NT), Onty Validity 10.10.2032	Police, Dehradun	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
4.	श्री सन्दीप प्रसाद डिमरी, पुत्र श्री भगवत प्रसाद डिमरी, ग्राम–बडकोट, उत्तरकाशी	UK-1020120003035, FOR-MGWG(NT), LMV(NT), Onty Validity 30.03.2018	Police, Dehradun	चालक को एल्कोमीटर से टेस्ट किया गया, 170.8 mg/100 ml. पाया गया। जो कि 30 mg/ 100 ml से अधिक है, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
5.	श्री प्रबेश कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र दत्त, ग्राम–कोटियालगाँव, बडकोट, उत्तरकाशी	UK-1020140009503, FOR-MGWG(NT), LMV(NT), Onty Validity 30.03.2018	Police, Uttarkashi	शराब के नशे में वाहन चलाना। D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
6.	श्री रमेश लाल पुत्र श्री बीरू लाल, ग्राम–लुदारका मैनोल, तहसील–डुण्डा, उत्तरकाशी	UK-1020150011724, FOR-MGWG(NT), LMV(NT), Onty Validity 19.09.2031	Police, Tehri	चालक को एल्कोमीटर से टेस्ट किया गया, 84.9 mg/100 ml. है, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
7.	श्री चन्द्रकांत यशपाल पुत्र श्री आनन्दपाल, ग्राम–बडली, तहसील–चिन्याली, सौड, उत्तरकाशी	UK-1020130006533, FOR-MGWG(NT), LMV(NT), Onty Validity 09.07.2032	ARTO(E), Uttarkashi	1. चालक द्वारा वाहन की RC, IC एवं PURC प्रस्तुत नहीं की, 2. चालक को एल्कोमीटर से टेस्ट किया गया, 97mg/ 100ml पाई गई, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
8.	श्री ममलेश पुत्र श्री जगू शाह, ग्राम–पौंटी, तहसील–बडकोट, उत्तरकाशी	UK-1020120003802, FOR-LMV(NT), TRANS (TR), PSVBUS(TR), Onty Validity 13.12.2018	ARTO(E), Dehradun	1. एल्कोमीटर से जाँच करने पर 46mg/100 ml है, जो निर्धारित सीमा से अधिक है, 2. वैध RC/FC प्रस्तुत नहीं किया, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित

1	2	3	4	5	6
9.	श्री आकाश अरोडा पुत्र श्री ओम प्रकाश अरोडा, ग्राम व पो0आ0–जोशियाडा, उत्तरकाशी	UK-1020110001616, FOR-LMV(NT), LMV-GV(TR), LMVCAB(TR), Onty Validity 24.04.2019	Police, Chanakya Puri, New Delhi	यातायात नियमों का उल्लंघन करना, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
10.	श्री गणेश नाथ पुत्र श्री मुलक नाथ, ग्राम–बदलाडा, तहसील–चिन्याली सौड, उत्तरकाशी	UK-1020100002263, FOR-LMV(NT), TRANS (TR), PSVBUS(TR), Onty Validity 13.03.2017	Police, Tehri	वाहन चालक द्वारा रेड लाईट जम्प करना, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
11.	श्री अनिल रमोला पुत्र श्री जवहार सिंह, ग्राम–गैर, पो0–कफनोल, तहसील–भटवाडी, उत्तरकाशी	UK-1020150010313, FOR-LMV(NT), TRANS (TR), PSVBUS(TR), Onty Validity 14.06.2019	Police, Dehradun	यातायात नियमों का उल्लंघन करना, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
12.	श्री महावीर सिंह पुत्र श्री जयवीर सिंह, ग्राम–रामा, तहसील–पुरोला, उत्तरकाशी	UK-1020140008818, FOR-MGWG (NT), LMV(NT), TRANS (TR), PSVBUS(TR), Onty Validity 24.04.2019	ARTO(E), Uttarkashi	निर्धारित गति से अधिक गति पर वाहन चलाना, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
13.	श्री हरीश कुमार पुत्र श्री रतनू लाल, ग्राम–चिलोट, पो0आ0–श्रीकोट चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	UK-1020100000899, FOR-MGWG (NT), LMV(NT), TRANS (TR), PSVBUS(TR), Onty Validity 19.10.2017	ARTO(E), Uttarkashi	1. RP प्रस्तुत नहीं किया गया। 2. वाहन में कुल 03 के सापेक्ष कुल 10 सवारी बैठी पाई गई, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
14.	श्री दीपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, ग्राम–लदाडी, जोशियाडा, उत्तरकाशी	UK-1020160013146, FOR-MGWG (NT), Onty Validity 25.07.2036	ARTO(E), Uttarkashi	1. वाहन पर 02 के सापेक्ष 03 सवारी बैठी है, 2. चालक ने हेडगियर नहीं पहना है, 3. वाहन की RC, IC प्रस्तुत नहीं की गई, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
15.	श्री अजय पुत्र श्री राजेन्द्र लाल, ग्राम व पो0आ0–ज्ञानसू, उत्तरकाशी	UK-1020150010313, FOR-LMV(NT), TRANS (TR), PSVBUS(TR), Onty Validity 12.06.2019	ARTO(E), Uttarkashi	1. 31.12.2016 के बाद कर जमा का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका, 2. वैध PUCC प्रस्तुत नहीं कर सका, 3. चालक कक्ष में चालक सहित चार सवारी बैठी है, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित

1	2	3	4	5	6
16.	श्री विजय कुमार पुत्र श्री दिल्लू लाल, ग्राम–पालूका, तहसील–बडकोट, उत्तरकाशी	UK-1020030007037, FOR-MGWG (NT), LMV(NT), TRANS (TR), PSVBUS(TR), Onty Validity 30.03.2018	ARTO(E), Tehri	स्वीकृत क्षमता से 01 सवारी अधिक है, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
17.	श्री आलेन्द्र सिंह पुत्र श्री इलम सिंह, ग्राम–पैंथर, पो0आ0–गेंवला, तहसील–डुण्डा, उत्तरकाशी	UK-1020130006056, FOR-LMV(NT), TRANS (TR), PSVBUS(TR), Onty Validity 15.06.2017	ARTO(E), Uttarkashi	1. वाहन के डाले पर 03 अतिरिक्त सवारी बैठी है, 2. चालक ने सीट वेल्ट नहीं पहनी है, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
18.	श्री गणेश सिंह रावत पुत्र श्री महावीर सिंह रावत, ग्राम–जोगत तल्ला, तहसील–चिन्याली सौड, उत्तरकाशी	UK-1020130005868, FOR-MGWG (NT), LMV(NT), Onty	Police, Janakpuri, New Delhi	यातायात नियमों का उल्लंघन, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
19.	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री अतर लाल, ग्राम–मोरगी, पो0आ0–चिन्याली सौड, जिला उत्तरकाशी	UK-1020130007269, FOR-LMV(NT), TRANS(TR), PSVBUS(TR), Onty Validity 05.03.2018	ARTO(E), Uttarkashi	वाहन में 1275 किग्रा0 माल ओवरलोड पाया गया, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
20.	श्री मोहन लाल पुत्र श्री पूरण दास, ग्राम–बंसूगा, तहसील–भटवाडी, उत्तरकाशी	UK-1020080004971, FOR-LMV(NT), LMV-GV(TR), LMVCAB(TR), Onty Validity 24.10.2015	ARTO(E), Uttarkashi	1. वाहन में स्वीकृत 02 के सापेक्ष 10 सवारी ले जायी जा रही है, 2. डी0एल0 की फोटो कॉपी प्रस्तुत की, 3. वैध प्रदूषण प्रस्तुत नहीं कर सका, 4. वाहन चालक वाहन को छोड़कर भाग गया, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
21.	श्री राधेश्याम पुत्र श्री दलपति, ग्राम–हिटाणु पट्टी,–धनारी, उत्तरकाशी	UK-1020140008875, FOR-MGWG (NT), LMV(NT), Onty Validity 28.09.2034	ARTO(E), Uttarkashi	यातायात नियमों का उल्लंघन करना, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
22.	श्री सुशील नौटियाल पुत्र श्री सच्चिदानन्द, ग्राम–संगराली, बाराहट, उत्तरकाशी	UK-1020010001782, FOR-LMV(NT), LMV-GV(TR), TRANS (TR), PSVBUS(TR), Onty Validity 20.05.2018	Police, Uttarkashi	स्वीकृत RLW-2880 KGS के सापेक्ष वाहन का GVW-3275 है। अतः वाहन में क्षमता से 375kgs माल ओवरलोड है, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित

1	2	3	4	5	6
23.	श्री मोहन प्रकाश पुत्र श्री बालमुकुन्द, ग्राम–गमरी, तहसील–चिन्याली सौड, उत्तरकाशी	UK-1020130007199, FOR-MCWG (NT), LMV(NT), TRANS (TR), PSVBUS(TR), Onty Validity 05.01.2018	ARTO(E), Uttarkashi	वाहन में 05 सवारी बैठी है, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
24.	श्री सुनिल रावत पुत्र श्री भगत दर्शन, ग्राम–भंकोली, थाना–मनेरी, उत्तरकाशी	UK-1020120003131, FOR-MGWG (NT), LMV(NT), LMVCAB (TR), Onty Validity 27.06.2019	ARTO(E), Uttarkashi	1. 09 के सापेक्ष 16 सवारी बैठाई गयी हैं, 2. वैध प्रदूषण व कर जमा का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
25.	श्री सुनिल सिंह पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह, ग्राम व पो0आ0–पाला भटवाडी, उत्तरकाशी	UK-1020090004175, FOR-LMV(NT), LMV-GV(TR), LMVCAB (TR), Onty Validity 20.06.2018	ARTO(E), Uttarkashi	1. वैध परमिट व आर0सी0 की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर सका, 2. 09 के सापेक्ष 13 कुल सवारी ले जायी जा रही हैं, 3. चालक ने सीट बैल्ट नहीं पहनी है, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
26.	श्री नवीन सिंह राणा पुत्र श्री आनन्द सिंह राणा, ग्राम–बडेथी, पो0आ0–मातली, उत्तरकाशी	UK-1020150011512, FOR-MGWG (NT), LMV(NT), Onty Validity 03.11.2035	ARTO(E), Uttarkashi	1. RC, IC, PUCC एवं DL प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. चालक व सहचालक ने हेलमेट नहीं पहना है, 3. वाहन चालक का विभागीय एल्कोमीटर द्वारा श्वास परीक्षण करने पर चालक 110.8 mg/100 ml एल्कोहन सेवन कर वाहन संचालित करते पाया गया, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित
27.	श्री कृष्णदेव पुत्र श्री रामचन्द्र, ग्राम–कंडियाल पुरोला, उत्तरकाशी	UK-1020120003142, FOR-LMV(NT), LMV-GV(TR), LMVCAB(TR), TRANS(TR), Onty Validity 26.04.2018	ARTO(E), Uttarkashi	1. वाहन में सीमेन्ट के 280 बैग ले जाया जा रहा है, माल का बिल व तौल रसीद प्रस्तुत नहीं कर सके, 2. प्रेसर हार्न का प्रयोग किया जा रहा है, 3. रिफलेक्टर टेप मानक के अनुरूप नहीं लगी है, जनसुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है, 4. माल 14000 kgs, पेलोड–9160 kgs, ओवर लोड–4840 kgs, D.L. के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।	दिनांक 11.09.2017 से 10.12.2017 तक निलम्बित

ह0 (अस्पष्ट)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून

आदेश

12 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4323/लाइसेंस/2017–श्री चप्पू पुत्र श्री एम0 ए0 बारी, 29 त्रिमूर्ति विहार, देहरादून को इस कार्यालय द्वारा व्यावसायिक लाइसेंस संख्या यूए–0719720174456, परिवहन यान एवं पीएसवी बस के लिए जारी किया गया है। लाइसेंसधारक द्वारा दिनांक 03.09.2014 को दिनांक 26.08.2014 से 25.08.2017 तक की अवधि के लिए उक्त लाइसेंस का नवीनीकरण कराया गया। उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–12 के उपनियम–6 के अन्तर्गत व्यावसायिक चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी चालन प्रशिक्षण संस्थान से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। लाइसेंसधारक द्वारा अपनी चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आईडीटीआर, झाझरा, देहरादून द्वारा जारी दर्शित 02 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया, जिसका सत्यापन संबंधित संस्थान से कराये जाने पर संस्थान द्वारा प्रमाण–पत्र उनके द्वारा जारी न किये जाने की सूचना दी गयी। इस सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 01.10.2014 को नोटिस जारी किया गया। लाइसेंसधारक द्वारा अपना पक्ष न दिये जाने के कारण दिनांक 30.10.2014 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत लाइसेंस का अन्तिम नवीनीकरण निरस्त किया गया। मुख्यालय स्तर पर उक्त प्रकरण में जाँच के उपरान्त उक्त लाइसेंसों के विरूद्ध भी निरस्तीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये, जिस पर कार्यालय द्वारा दिनांक 13.03.2015 को लाइसेंस निरस्त किया गया।

लाइसेंसधारक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी/अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई करते हुए, अपने पत्र संख्या 4849/विधि/अपील/2016, दिनांक 25 जुलाई, 2017 के द्वारा उक्त प्रकरण में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप आदेश पारित न किये जाने के कारण लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेश दिनांक 13.03.2015 को अपास्त करते हुए, प्रकरण में पुनः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत अधीन विधिनुकूल कार्यवाही करने के आदेश किये गये हैं।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंसधारक को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं वर्गों या वर्णनों के यान चलाने की कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निरर्हित (Disqualify) करने का आदेश दे सकता हैं, या ऐसी चालन अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत (revoke) कर सकता है। लाइसेंसधारक द्वारा दिनांक 01.08.2017 को अपनी मूल चालन अनुज्ञप्ति कार्यालय में जमा करायी गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा अपील आदेश के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने का कथन किया गया। लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस बहाल कर मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अतः, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, अनुज्ञापन प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग, देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए, लाइसेंसधारक श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह, 38–ए, हरिद्वार रोड, देहरादून को उनकी चालन अनुज्ञप्ति के कार्यालय में जमा होने की तिथि 01.08.2017 से 31.10.2017 की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के वाहन चलाने हेतु चालन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए निरर्हित करता हूँ।

आज दिनांक 11.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

अरविन्द कुमार पाण्डेय,
लाइसेंसिंग प्राधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
देहरादून।

आदेश

11 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4324/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 12.06.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–07बीई–7034, मोटर साइकिल वाहन का चालान चालक निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री प्रत्यूस रावत पुत्र श्री डी0 एस0 रावत की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यू0के0–0720170006192, जो इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 31.03.2017, जारी की गयी है तथा दिनांक 30.03.2037 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

11 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4325/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 31.05.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–07टीए–2898, टाटा मैजिक वाहन का चालान, चालक द्वारा क्षमता से अधिक सवारी ले जाने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री क्मील हुसैन पुत्र श्री सकूर हुसैन की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यू0के0–0720000202246, जो इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं भारी मोटरयान (परिवहन) के लिए 06.03.2015, जारी की गयी है तथा दिनांक 05.03.2018 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

13 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4326/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 31.05.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–07पीए–4477, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्रीमती शनाली वालिया पत्नी श्री बंकिश शर्मा की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यू0के0–23880/डी/99, जो कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण, सहारनपुर, यू0पी0 कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल, हल्का मोटरयान वाहन (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 11.05.1999 से 04.05.2019 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

11 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4329/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 29.06.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–07सीए–8743, मोटर साइकिल वाहन का चालान, चालक खतरनाक तरीके से वाहन संचालन करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री चरणजीत पुत्र श्री गुरूचनरण सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यू0के0–0720120212154, जो इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 16.06.2012 जारी की गई है तथा दिनांक 15.06.2032 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

13 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4335/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 18.06.2017 को वाहन संख्या–यूपी–27भी–3206, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सोमपाल सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यू0पी0–1120070374610, जो कि सहारनपुर कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 12.09.2007 से 11.09.2027 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

13 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4336/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 18.06.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–08एएस–6032, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सिराजउद्दीन पुत्र श्री इस्लामुद्दीन की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यू0पी0–2020120010335, जो कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण, सहारनपुर, यू0पी0 कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल, हल्का मोटरयान एवं भारी वाहन (परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 23.05.2012 से 22.05.2019 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4371/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 23.07.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–07बीडब्लू–3035, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री कुलदी पुत्र रमेश प्रकाश की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यू0के0–0720160032306, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 24.12.2016 से 23.12.2036 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4372/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 13.06.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–07 बीयू–9591, मोटर साइकिल वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक कु0 शिप्रा ढालिया पुत्री श्री महेन्द्र सिंह ढालिया की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यू0के070720140311412, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 19.08.2014 से 18.08.2034 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4373/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 19.06.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–07टीए–6867, ऑटो का चालान, चालक द्वारा वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाने के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री सरताज खान पुत्र श्री लियाज खान के चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यू0ए0–0720080052273, जो लाइसेंसिंग प्राधिकरण, देहरादून कार्यालय द्वारा 20.08.2008 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है, तथा 19.08.2028 तक वैध है, जो कि हल्का मोटर यान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 03.10.2018 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–01 (एफ), सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4380/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.06.2017 को वाहन संख्या UV07BF-5099, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री विजेन्द्र सिंह S/o श्री हरि सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0719910209204, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिहवन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 17.06.1991 से 28.02.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से .....तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 (एफ), सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4381/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.06.2017 को वाहन संख्या UK07BF-1051, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री निखिल मोहन S/o श्री ब्रज मोहन के चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0720060139241, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिहवन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 27.02.2006 से 26.02.2026 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से .....तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–01 (एफ), सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4382/लाइसेंस/2016–17–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 11.06.2017 को वाहन संख्या यू0ए0–07एस71666, मोटर कार का चालान, चालक द्वारा वाहन संचालन निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक कु0 गार्गी कुकरेती पुत्री श्री एम0पी0 कुकरेती, चालन अनुज्ञप्ति सं0 यू0ए0–0720080048275, जो इस कार्यालय द्वारा 07.07.2008 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा दिनांक 06.07.2028 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19, उपधारा–01 (एफ), सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4383/लाइसेंस/2016–17–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.06.2017 को वाहन संख्या UP26CD-2382, मोटर कार का चालान, चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री सौरभ चौधरी S/o श्री विमल चौधरी, चालन अनुज्ञप्ति सं0 UP-1520160010439, जो मेरठ (U.P.), कार्यालय द्वारा 28.03.2016 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा दिनांक 27.03.2036 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर, प्रार्थना पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19, उपधारा–01(एफ), सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–..... के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4496/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.07.2017 को वाहन संख्या UK 07BF-1324, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sumit Mehrotra S/o A. N. Mehrotra की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0719910005394, जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिहवन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 31.10.1991 से 14.12.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से .....तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 (एफ), सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4497/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 06.07.2017 को वाहन संख्या HP17C-4338, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री विनोद कुमार S/o जोगिन्दर सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 1HP1720110020782, जो कि ..... कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिहवन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 19.04.2011 से 18.04.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से .....तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 (एफ), सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4498/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 17.07.2017 को वाहन संख्या UA0752679, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री राघव सेठी S/o नरेश सेठी की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720130237465, जो कि Dehradun, कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिहवन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 31.01.2013 से 29.01.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से ... .तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ), सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–16 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

11 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 5003/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 14.07.2017 को वाहन संख्या UK07BN-9526, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री कमल थापा S/o बी0बी0 थापा के चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720050237051, जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 15.07.2005 से 14.07.2025 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 23.02.2016 से 22.02.2019 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ), सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

ह0 (अस्पष्ट)
लाइसेंसिंग प्राधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
देहरादून।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

आदेश

13 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 78/लाइसेंस/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017–श्री इस्माईल, श्री इस्राईल, निवासी आवास विकास हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड के चालक लाइसेंस संख्या UK0420080010791, विरूद्ध निरर्ह/प्रतिसंहृत हेतु संस्तुति प्रभारी, सी0पी0यू0, पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्यालय के लाइसेंस की मूल प्रति के साथ प्राप्त हुई है। चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस कार्यालय के पत्रांक संख्या मैंभो/लाइसेंस/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017, दिनांक 01.06.2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, चालक द्वारा निर्धारित अवधि में अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है, जो पत्रावली में सुरक्षित है। प्रभारी, सी0पी0यू0, पुलिस विभाग, रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं चालक के सुनवाई संबंधी पत्र के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट हैं कि चालक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 एवं सपठित नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत दोषी है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, लाइसेंसिंग ऑथारिटी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, उक्त चालक लाइसेंस संख्या UK0420080010791, को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 13.10.2017 से 03 माह हेतु निरर्ह (Disqualify) करता हूँ।

नन्द किशोर,
लाइसेंसिंग ऑथारिटी,
मोटरयान विभाग,
ऊधमसिंह नगर।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

06 नवम्बर, 2017

सं0 UERC/F-9(11)/RG/UERC/2017/1262–उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 (2003 की 36) के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्ग–दर्शिका) विनियम 2007 (मुख्य विनियम) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन–

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्ग–दर्शिका) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगें।

2. मुख्य विनियम के विनियम 3 का उप–विनियम (5) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

सदस्यों की पदावधि 03 वर्षों के लिये की जायेगी, जो कि अधिकतम 02 वर्षों के लिये विस्तारित की जा सकती है। सदस्यों की नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी तथा सदस्य अधिकतम 68 वर्ष तक की आयु तक पदावदित रहेंगे।

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव।

NOTIFICATION

November 06, 2017

No. UERC/F-9(11)/RG/UERC/2017/1262—In exercise of the powers conferred by section 181 of The Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby proposes the following amendments in the UERC **(Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2007, (Principal Regulations),** namely:-

1. Short Title, Extent and Commencement

(1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Third Amendment) Regulations, 2017.

(2) These Regulations extend to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Sub-regulation (5) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted by:

"Members shall hold office for the term of three years which would be extendable upto two years. The upper age limit for the appointment of the Member shall be 65 years and can hold the office only upto the age of 68 years."

By Order of the Commission,

NEERAJ SATI

Secretary.

Uttarakhand Electricity Regulatory Commission.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 हिन्दी गजट/675–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 04, 1939 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0), पिथौरागढ़

सूचना

11 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 219/स्था0नि0/निर्वा0/नामा0/पुन0/सूचना–राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 470/रा0नि0आ0अनु0–3/1260/2017, दिनांक 22.09.2017 के क्रम में भारत के अनुच्छेद 243–यक के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित) की धारा 12–ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद पिथौरागढ़ की नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु, मैं, सी0 रविशंकर, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0 निकाय) एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि आयोग द्वारा जारी किये गये निम्नांकित समय सारणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगा:–

	कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
(क)	1. नागर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति	24.10.2017 से 27.10.2017 तक	04 दिन
	2. कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तत्सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना	28.10.2017 से 01.11.2017 तक	05 दिन
	3. प्रशिक्षण अवधि	02.11.2017 से 07.11.2017 तक	06 दिन
(ख)	संगणक द्वारा घर–घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	08.11.2017 से 11.12.2017 तक	34 दिन
(ग)	प्रारुप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	12.12.2017 से 20.12.2017	09 दिन
(घ)	प्रारुप निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण	21.12.2017 से 21.01.2018	32 दिन
(ङ)	निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन एवं निरीक्षण	22.01.2018 से 01.02.2018	11 दिन
(च)	दावे/आपत्तिं दाखिल करने की अवधि	02.02.2018 से 12.02.2018 तक	11 दिन

कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
(छ) दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	13.02.2018 से 20.02.2018 तक	08 दिन
(ज) पूरक सूचियों की तैयारी व मुद्रण	21.02.2018 से 08.03.2018 तक	16 दिन
(झ) निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	09.03.2018	

2. तद्नुसार जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थानीय निकाय) द्वारा अपने–अपने निकायों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पटों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे अथवा समस्त मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने सम्बन्धी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की निर्देश–पुस्तिका के अध्याय–3 में उल्लिखित सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पटों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी ला दिये जायेंगे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसके अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के नियम–20 (1)(2) के अधीन दायर की गई है।

3. उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2018 निर्धारित करते हुए जनपद के समस्त नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जायेंगे, जो 01 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावलियाँ ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेंगी।

सी0 रविशंकर,
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0),
पिथौरागढ़।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 हिन्दी गजट/675–भाग 3–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 04, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून)

विज्ञप्ति

08 नवम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 771/गजट प्रकाशन/2017–18–नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 128 की उपधारा–13(ख) एवं धारा 298–एक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा के अन्तर्गत भवनकर सूचियों/पँजिकाओं में नाम परिवर्तन एवं संशोधन (दाखिल खारिज) हेतु उत्तराखण्ड शासकीय गजट 14.04.2007 ई0 (चैत्र 24, 1929 शक सम्वत्) को प्रकाशित "नाम परिवर्तन एवं संशोधन (दाखिल खारिज) उपविधि, 2005" में निम्नलिखित संशोधन किया गया है, जिस पर नियत अवधि के अन्दर कोई सुझाव व आपत्ति प्राप्त न होने के फलस्वरूप यह उपविधि नगरपालिका बोर्ड बैठक दिनांक 23.09.2017 के प्रस्ताव सं0–20 द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(2) के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड शासकीय गजट" में प्रकाशित करने हेतु सर्वसम्मति से पुष्टि का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

नाम परिवर्तन एवं संशोधन (दाखिल खारिज) संशोधित उपविधि, 2017

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. जाँच रिपोर्ट आने पर नगरपालिका परिषद्, विकासनगर के अधिशासी अधिकारी द्वारा इन अचल सम्पत्तियों के दाखिल खारिज की सूचना समाचार–पत्र या एक इश्तिहार के रूप में जारी किया जायेगा, इश्तिहार का व्यय प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देना होगा।	8. नाम परिवर्तन, संशोधन सूचना का प्रकाशन सम्पत्ति से सम्बन्धित पक्षों के सूचनार्थ स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में किया जायेगा, यदि सम्पत्ति स्वामी उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों अथवा दूसरे राज्यों के निवासी हैं तो इश्तिहार (सूचना) उन स्थानों पर व्यापक रूप से प्रचलित समाचार–पत्र अथवा राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। स्थानीय समाचार–पत्र में प्रकाशित

नाम परिवर्तन एवं संशोधित उपविधि, 2017

<table>
<tr><th>स्तम्भ–1
विद्यमान नियम</th><th>स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</th></tr>
<tr><td></td><td>सूचना के बिलों का भुगतान पालिका द्वारा किया जायेगा और उत्तरखण्ड या अन्य राज्यों से प्रकाशित दैनिक समाचार–पत्र एवं दैनिक राष्ट्रीय समाचार–पत्र के बिलों का भुगतान आवेदक द्वारा ही किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>17. दाखिल खारिज की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 35 दिन के अन्दर पूर्ण की जायेगी।</td><td>17. नाम परिवर्तन संशोधन (दाखिल खारिज) की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 60 दिन के अन्दर पूर्ण की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>18. दाखिल खारिज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित अनुसूची में निर्धारित शुल्क लिया जायेगा:–</td><td>18. नाम परिवर्तन, संशोधन (दाखिल खारिज) करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ निम्नलिखित अनुसूची में निर्धारित शुल्क लिया जायेगा:–</td></tr>
<tr><td>
अनुसूची–शुल्क
पक्की अचल सम्पत्तियों के लिए
<table>
<tr><td>(क)</td><td>200 वर्ग फिट तक प्रत्येक मंजिल के लिए</td><td>₹ 100</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>201 वर्ग फिट से 500 वर्ग फिट तक</td><td>₹ 200</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>500 वर्ग फिट से ऊपर</td><td>₹ 500</td></tr>
</table>
कच्ची अचल सम्पत्तियों के लिए
<table>
<tr><td>(क)</td><td>200 वर्ग फिट तक प्रत्येक मंजिल के लिए</td><td>₹ 50</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>201 वर्ग फिट से 500 वर्ग फिट तक</td><td>₹ 100</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>500 वर्ग फिट से ऊपर</td><td>₹ 200</td></tr>
</table>
प्लाट (जमीन व आहर्ता के लिए)
<table>
<tr><td>(क)</td><td>200 वर्ग फिट तक प्रत्येक मंजिल के लिए</td><td>₹ 100</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>201 वर्ग फिट से 500 वर्ग फिट तक</td><td>₹ 200</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>500 वर्ग फिट से ऊपर</td><td>₹ 500</td></tr>
</table>
अन्य शुल्क
<table>
<tr><td>(क)</td><td>प्रार्थना पत्र शुल्क</td><td>₹ 5</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>आपत्तिकर्ता के लिए शुल्क</td><td>₹ 50</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>प्रति आपत्ति हेतु</td><td>₹ 50</td></tr>
</table>
मुक्ति
1. नगरपालिका कर्मचारी अपने हक में जो नामांकन प्रार्थना पत्र देंगे, शुल्क से मुक्त होंगे।
2. जनहित में आपत्ति करने वाले व्यक्ति दाखिल खारिज शुल्क से मुक्त होंगे।
3. राजकीय अचल सम्पत्ति शुल्क से मुक्त।
4. धार्मिक स्थल सम्पत्ति शुल्क से मुक्त।
</td><td>
अनुसूची–शुल्क (धनराशि में)
<table>
<tr><td>(क)</td><td>आवासीय भवनों का रजिस्टर्ड बैनामे के आधार पर नाम परिवर्तन व संशोधन शुल्क–</td><td>₹ 2000</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>व्यवसायिक भवन व दुकान का रजिस्टर्ड बैनामे पर नाम परिवर्तन व संशोधन शुल्क–</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>आवासीय एवं व्यवसायिक भवन के बैनामे पर लगने वाले स्टॉम्प का मूल्य यदि (आवासीय हेतु ₹ 1.00 लाख एवं व्यवसायिक भवन हेतु ₹ 1.50 लाख) से अधिक है तो अधिक स्टॉम्प की धनराशि पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा।</td><td>2 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>विरासतन/मृत्यु प्रमाण–पत्र/दान पत्र के आधार पर नाम परिवर्तन व संशोधन शुल्क–
आवासीय–
व्यवसायिक–</td><td>
₹ 2000
₹ 3000</td></tr>
<tr><td>(ङ)</td><td>भूमि/प्लाट रजिस्टर्ड बैनामें के आधार पर अभिलेखों में अंकन एवं नाम परिवर्तन व संशोधन शुल्क–</td><td>₹ 3000</td></tr>
<tr><td>(च)</td><td>भवनकर सूचियों में नाम अंकन, नाम परिवर्तन एवं संशोधन हेतु आवेदन पत्र शुल्क–</td><td>₹ 250</td></tr>
<tr><td>(छ)</td><td>आपत्ति शुल्क</td><td>₹ 500</td></tr>
<tr><td>(ज)</td><td>भवनकर अभिलेखों में नाम परिवर्तन एवं संशोधन में सम्पत्ति स्वामी द्वारा बैंक या वित्तीय कम्पनी से ऋण लिये जाने बावत् सम्पत्ति का पालिका अभिलेखों में मोडगेज अंकित किये जाने बावत् शुल्क–
₹ 10 लाख की सीमा तक–
₹ 10 लाख से अधिक ऋण की धनराशि पर–</td><td>
₹ 500
01 प्रतिशत</td></tr>
</table>
मुक्ति
धार्मिक और राजकीय शिक्षण संस्थाएँ नाम परिवर्तन, संशोधन शुल्क से मुक्त रहेंगे।
</td></tr>
</table>

विज्ञप्ति

08 नवम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 771/गजट प्रकाशन/2017–18–नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, देहरादून सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की उपधारा–2, खण्ड (ज) का (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 के तहत विज्ञापन पट्टों को नियन्त्रित करने एवं विज्ञापन शुल्क वसूली के उद्देश्य से गठित "अश्लील तथा अभद्र फिल्म, पोस्टरों–विज्ञापनों" आदि के प्रदर्शन को विनियमित करने हेतु गठित उपनियम, जो उ0प्र0 शासकीय गजट दिनांक 08 मई, 1976 एवं संशोधित यह उपनियम, जो उत्तराखण्ड शासकीय गजट दिनांक 14 अप्रैल, 2007 में प्रकाशित है, इस उपविधि को तत्काल प्रभाव से अवक्रमित/निरस्त करते हुए, "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2017" बनाई गयी है, जिस पर प्राप्त आपत्ति के निस्तारण उपरान्त नगरपालिका बोर्ड बैठक दिनांक 23.09.2017 के प्रस्ताव सं0–20 द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(2) के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड शासकीय गजट" में प्रकाशित करने हेतु सर्वसम्मति से पुष्टि का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि, 2017

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ :
   (क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, देहरादून "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2017" कहलायेगी।
   (ख) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, देहरादून की सीमा में प्रवृत्त होगी।
   (ग) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, देहरादून द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ :

   किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में:–
   (क) "नगरपालिका" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, देहरादून से है;
   (ख) "सीमा" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, देहरादून की सीमाओं से हैं;
   (ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर से है;
   (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर के अध्यक्ष/प्रशासक से है;
   (ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा प्रशासक से है;
   (च) "अधिनियम" का तात्पर्य, उ0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है;
   (छ) "विज्ञापन" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, विकासनगर की सीमान्तर्गत प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पट्ट, होर्डिंग, यूनिपोल, बोर्ड एवं अन्य प्रचार सामग्री से है।
3. विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग/यूनिपोल) स्थल के अनुसार सड़कों के समानान्तर लगाये जायेंगे, छोटे यूनिपोल पेन्टेड सर्फेस से 2.5 मीटर की दूरी पर 5×3 फिट एवं सड़क से 8 फुट ऊँचाई पर होंगे। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रान्तीय मार्ग पर यूनिपोल के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी होगी।
4. यूनिपोल/होर्डिंग, सड़क से समानान्तर लगाये जायेंगे, जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके एवं होर्डिंग के कारण सड़क दुर्घटना न होने के उद्देश्य से जहाँ आवश्यकता होगी, वहाँ से इन यूनिपोल/होर्डिंग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सड़क के समानान्तर लगाने के निर्देश भी दिये जा सकते हैं।

5. होर्डिंग/यूनिपोल का अधिकतम साईज 20×10 फिट होगा।

6. होर्डिंग, दो लोहे/पाईप के स्तम्भ एवं यूनिपोल, लोहे/पाईप के स्तम्भ की संरचना मजबूत व फ्रेम के आकार की होनी चाहिये, जिससे आँधी, तूफान आदि से न गिर पायेगी। अतः इनकी संरचना के सम्बन्ध में स्ट्रक्चर इन्जीनियर की रिपोर्ट आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

7. मुख्य चौराहों व मोड़ों पर 25–25 मीटर दूरी तक होर्डिंग/यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।

8. प्रत्येक होर्डिंग के सम्बन्ध में सड़कवार एक यूनीक कोड नम्बर तय किया जायेगा, जिसके विवरण में उस होर्डिंग का आकार–प्रकार होर्डिंग विज्ञापन एजेन्सी का नाम लगाने का स्थान, स्वीकृति तिथि, रसीद नम्बर व उस होर्डिंग का सड़क से एंगल भी वर्णित किया जायेगा।

9. नगरपालिका सीमा में विज्ञापन पट्ट लगाये जाने हेतु विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट्ट लगाने से पूर्व नगरपालिका कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा। इस प्रकार केवल पंजीकृत एजेन्सियों को ही विज्ञापन पट्ट लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी। पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 जनवरी से 31 मार्च तक किया जायेगा।

10. नगरपालिका परिषद्, डोईवाला में विज्ञापन एजेन्सियों को पंजीकृत किये जाने हेतु प्रथम बार पंजीकरण राशि ₹ 20,000 पालिका कोष में जमा करानी होगी, तत्पश्चात् पंजीकृत एजेन्सी अगले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ₹ 5,000 की धनराशि नवीनीकरण के रूप में नगरपालिका कोष में जमा करनी होगी।

11. नगरपालिका सीमा में लगाये जाने वाले विज्ञापन पट्टों एवं अन्य प्रचार सामग्री आदि का न्यूनतम निर्धारित शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। विज्ञापन शुल्क हेतु निर्धारित दरें निम्नवत् होंगी अथवा निर्धारित दरों के आधार पर विज्ञापन का ठेका सार्वजनिक नीलामी द्वारा भी दिया जा सकता है:–

विज्ञापन शुल्क की दरें

क्र0 सं0	विवरण	दर (₹ में)	यूनिट
1	2	3	4
1.	एन0एच0, प्रान्तीय मार्गों के किनारे स्थित विज्ञापन पट्ट, होर्डिंग्स/यूनीपोल	200.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
2.	नगरपालिका के मुख्य मार्ग एवं आन्तरिक मोहल्लों के सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाले विज्ञापन पट्ट, होर्डिंग्स/यूनीपोल	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
3.	इन्डीकेटर बोर्ड (आई0एच0पी0) (3×2 फिट) पोल क्योक्स 2 (3×2 फिट)	1000.00	प्रति पोल/प्रतिवर्ष
4.	निजी भवनों पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड/विभिन्न कम्पनियों के उत्पादनों को प्रदर्शित करने वाले बोर्डों पर	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
5.	निजी भवनो पर लगे विज्ञापन/होर्डिंग्स	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
6.	फ्लाई ओवर कॉलम (10×20 फिट)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
7.	पुल/पुल के कॉलम पर (10×20 फिट)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
8.	प्रोटेक्शन स्क्रीम/नाला कल्वर्ट (8×15 फिट)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष

1	2	3	4
9.	निजी बस/पब्लिक बस एडवरटाईजिंग, 4×15 फिट (दोनों साईड) बैक साइड 3×3 फिट	20.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
10.	डिलिवरी वाहन/सर्विस वाहन/टैक्सी	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
11.	डिमोस्टेशन वाहन	200.00	प्रतिदिन
12.	बिल्डिंग रैंप 80×20 फिट	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
13.	पार्किंग (दो डिसप्ले बोर्ड) 3×5 फिट	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
14.	ट्री–गार्ड 1.5×1.5 फिट	25.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
15.	ट्रैफिक बैरीकेटिंग	200.00	प्रति बैरीकेटिंग
16.	ट्रैफिक पोस्ट/पुलिस बूथ के ऊपर कियोस्क 2×3 फिट	160.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
17.	सार्वजनिक शौचालय दो साईड वाल 8×10 फिट	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
18.	रोड डिवाईडर/सड़क के किनारे यूनिपोल 20×10 फिट लगाये जाने पर	200.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
19.	गैन्ट्री (स्वागत द्वार), रोड सर्फेश के सम्पूर्ण भाग को छोड़ने के पश्चात् लगाये जाने पर एन0एच0/प्रान्तीय मार्ग पर	250.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
20.	गैन्ट्री (स्वागत द्वार), रोड सर्फेश के सम्पूर्ण भाग को छोड़ने के पश्चात् लगाये जाने पर एन0एच0/प्रान्तीय मार्ग पर नगरपालिका के आन्तरिक मार्ग एवं अन्य मुख्य मार्ग	150.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
21.	लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार, अतिरिक्त दिन के लिए	200.00	प्रतिदिन प्रतिदिन
22.	इवेन्ट एण्ड एक्जीबिशन/मेला एक दिन का अतिरिक्त दिन के लिए	5000.00/ 500.00	प्रतिदिन
23.	बस शैल्टर 26×5 फिट	200.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
24.	बिजली/टेलीफोन के खम्बों पर कियोक्स 3×2 फिट	150.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
25.	बैलून (गुब्बारा) पर विज्ञापन	100.00	प्रति बैलून/प्रतिवर्ष

12. नगरपालिका द्वारा विज्ञापन शुल्क का ठेका 2 वर्ष के लिए दिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष ठेके की धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी अथवा गैन्ट्री या बस शैल्टर का BOT पर ठेका दिये जाने की अवधि कम से कम 05 वर्ष या अधिक से अधिक 10 वर्ष होगी, जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि विज्ञापन शुल्क में की जायेगी।

13. निम्नलिखित क्षेत्रों में विज्ञापन पट्ट प्रतिबन्धित होगा–

    1. धार्मिक स्थल।

    2. नगरपालिका कार्यालय के आसपास।

14. नगरपालिका सीमान्तर्गत सम्प्रदर्शित किये जाने वाले ग्लोसाईन/साईन बोर्ड, जो दुकानों के नाम के साथ या स्वतन्त्र रूप से किसी वस्तु के विषय, गुण आदि के बारे में उल्लेख हो, जनसाधारण को विज्ञापन की भाँति आकर्षित करता हो, के विज्ञापनकर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी, का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जायेगा।

15. विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम (100 प्रतिशत) जमा किया जायेगा। एक माह तक शुल्क जमा न होने पर सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा तथा बकाया विज्ञापन शुल्क की वसूली भू–राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।

16. इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य बोर्ड, जहाँ दोनों ओर विज्ञापन लिखें होंगे, वहाँ निर्धारित शुल्क दुगुने हो जायेंगे, इन्डिकेटर बोर्ड का साईज 5×3 फिट का होगा।

17. विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या नकद के रूप में ही जमा किया जायेगा।

18. प्रत्येक तिराहों एवं चौराहों में, जहाँ कि समय–समय पर विज्ञापन पट्ट एकदम रास्ते के किनारे से एक दूसरे के अगल–बगल से आने वाले वाहनों का एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, इन चौराहों एवं तिराहों में केन्द्र से चारों ओर पथों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट्ट लगाने में प्रतिबन्ध रहेगा।

19. पोल कियोस्क का साईज 2×3 फिट होगा।

20. सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे–शराब, तम्बाकू, धूम्रपान एवं अश्लील, जातिसूचक, धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले, पशु क्रूरता, हिंसात्मक, विध्वंसक उत्पाद, हथियारों से सम्बन्धित उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

21. किसी भी विज्ञापन एजेन्सी द्वारा यदि स्वीकृत पट्ट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया, तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

22. जनहित अथवा यातायात की दृष्टि से एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट्ट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जायेगा, जिस पर कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

23. यूनियन रोड कॉंग्रेस द्वारा रोड शाइन (आई0आर0सी0) 67–2001 में निर्धारित कलरों/मानकों का प्रयोग ही विज्ञापन पट्टों के लिए अनुमन्य होगा। विज्ञापन पट्टों में प्रयोग किये जाने वाले रंग एवं फॉन्ट साइज ऑफिशियल ट्रैफिक साइन के समान एवं वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नहीं होंगे।

24. विज्ञापन पट्ट/यूनिपोल का आवंटन विज्ञापन शुल्क के निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित कर सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा।

25. रोड, पटरी, निजी भवनों एवं भूमियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर विज्ञापन एजेन्सी, ठेकेदार एवं भवन स्वामी से ₹ 25,000 जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटाते हुए विज्ञापन एजेन्सी की पंजीकरण एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय की वसूली विज्ञापन एजेन्सी एवं ठेकेदार से की जायेगी।

26. जनहित में नगरपालिका में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत किये जायेंगे, उन पर सुन्दर, स्वच्छ, विकासनगर का स्लोगन प्रदर्शित किये जायेंगे तथा यातायात की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा लगाये जाने वाले विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स/यूनीपोल में उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्थान दिया जायेगा।

27. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए, एजेन्सी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार बोर्ड में निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 1,000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 250.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, देहरादून में अन्तिम रूप में निहित होगा।

विज्ञप्ति

08 नवम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 771/गजट प्रकाशन/2017–18–नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298(2), लिस्ट जे0(डी0) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, विकासनगर के निर्माण कार्यों के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों को नियन्त्रित एवं पंजीकृत करने हेतु उत्तरांचल शासकीय गजट दिनाँक 06 मई, 2006 में प्रकाशित "ठेकेदारों को नियन्त्रित एवं पंजीकृत उपविधि–2005" एवं इस उपविधि के नियम–2(6) व नियम–7(3) में हुए संशोधन, जो उत्तराँचल शासकीय गजट में प्रकाशित है। उपरोक्त उपविधि में वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टिगत निम्नलिखित संशोधन किया गया है, जिस पर नियत अवधि के अन्दर कोई सुझाव व आपत्ति प्राप्त न होने के फलस्वरूप यह उपविधि नगरपालिका बोर्ड बैठक दिनाँक 23.09.2017 के प्रस्ताव सं0 20 द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(2) के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड शासकीय गजट" में प्रकाशित करने हेतु सर्वसम्मति से पुष्टि का प्रस्ताव पारित किया गया हैं यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

ठेकेदारी नियन्त्रित एवं पंजीकरण (संशोधित) उपविधि–2017

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–2(3) पंजीकरण प्रक्रिया में जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:– (अ) प्रथम श्रेणी के लिए ₹ 5.00 लाख (ब) द्वितीय श्रेणी के लिए ₹ 3.00 लाख (स) तृतीय श्रेणी के लिए ₹ 2.00 लाख	नियम–2(3) पंजीकरण प्रक्रिया में जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है। (अ) प्रथम श्रेणी के लिए ₹ 15.00 लाख (ब) द्वितीय श्रेणी के लिए ₹ 10.00 लाख (स) तृतीय श्रेणी के लिए ₹ 05.00 लाख
नियम–4 पंजीकरण शुल्क ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क नगद रूप में पालिका कोष में जमा करना होगा:– (अ) प्रथम श्रेणी के लिए ₹ 5,000.00 (ब) द्वितीय श्रेणी के लिए ₹ 3,000.00 (स) तृतीय श्रेणी के लिए ₹ 2,000.00	नियम–4 पंजीकरण शुल्क ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क नगद रूप में पालिका कोष में जमा करना होगा:– (अ) प्रथम श्रेणी के लिए ₹ 20,000.00 (ब) द्वितीय श्रेणी के लिए ₹ 15,000.00 (स) तृतीय श्रेणी के लिए ₹ 10,000.00
नियम–5 पंजीकरण की अवधि: प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मात्र माह अप्रैल, मई व जून में ठेकेदारों के पंजीकरण किये जा सकेंगे, पंजीकरण का निर्धारित प्रार्थना–पत्र प्रारूप ₹ 25.00 पालिका कोष में जमा कर, क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रारूप में मान्य होगा, जो अवर अभियंता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।	नियम–5 पंजीकरण की अवधि: प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मात्र माह अप्रैल से अक्टूबर तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जा सकेंगे तथा उसके उपरान्त ठेकेदारी पंजीकरण 2 गुणा पंजीकरण शुल्क दिये जाने पर किये जायेंगे। पंजीकरण का निर्धारित प्रार्थना–पत्र प्रारूप ₹ 250.00 पालिका कोष में जमा कर, क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रारूप में मान्य होगा, जो अवर अभियंता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–6 नवीनीकरण की प्रक्रियाः उपनियम–3 नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार पालिका कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर परिषद् के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगीः– (अ) प्रथम श्रेणी के लिए ₹ 500.00 (ब) द्वितीय श्रेणी के लिए ₹ 300.00 (स) तृतीय श्रेणी के लिए ₹ 200.00	**नियम–6 नवीनीकरण की प्रक्रियाः** उपनियम–3 नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार पालिका कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर परिषद् के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगीः– (अ) प्रथम श्रेणी के लिए ₹ 5,000.00 (ब) द्वितीय श्रेणी के लिए ₹ 3,000.00 (स) तृतीय श्रेणी के लिए ₹ 2,000.00
नियम–7 निर्माण के सम्पादन की सीमाः प्रत्येक ठेकेदार के पंजीकरण को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः– 1. प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे। 2. द्वितीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ₹ 50.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे। 3. तृतीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ₹ 1.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।	**नियम–7 निर्माण के सम्पादन की सीमाः** प्रत्येक ठेकेदार के पंजीकरण को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः– 1. प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे। 2. द्वितीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ₹ 50.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे। 3. तृतीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ₹ 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।
नियम–8 निविदा प्रपत्र की लागतः निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता हैः–	**नियम–8 निविदा प्रपत्र की लागतः** निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आगणन) धनराशि का 10 प्रतिशत पर 03 प्रतिशत निविदा प्रपत्र मूल्य निर्धारित होगा, जिसका भुगतान ठेकेदार द्वारा नगद रूप से किया जायेगा।

कार्यों की लागत (₹ में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (₹ में)
अ–50,000.00 तक	50.00
ब–50,000.00 से 1,00,000.00 तक	100.00
स–1,00,000.00 से 2,00,000.00 तक	200.00
द–2,00,000.00 से 4,00,000.00 तक	300.00
य–4,00,000.00 से 8,00,000.00 तक	500.00

र–₹ 8,00,000.00 से ऊपर के कार्यों के प्रपत्र कर, मूल्य प्रति ₹ 10,000.00 पर ₹ 10.00 के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए पालिका से निविदा प्रपत्र नगद मूल्य देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र पालिका के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा।

विज्ञप्ति

08 नवम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 771/गजट प्रकाशन/2017–18–नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 (उत्तराखरण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 128(2), खण्ड (1) (2) एवं धारा 298 की उपधारा–2, खण्ड (ज) का (ड) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका सीमान्तर्गत मोबाइल टावरों की स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण हेतु "नगरपालिका मोबाइल टॉवर स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण उपविधि–2017" बनाई गयी है, जिस पर नियत अवधि के अन्दर कोई सुझाव व आपत्ति प्राप्त न होने के फलस्वरूप यह उपविधि नगरपालिका बोर्ड बैठक दिनांक 23.09.2017 के प्रस्ताव सं0 20 द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(2) के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड शासकीय गजट" में प्रकाशित करने हेतु सर्वसम्मति से पुष्टि का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

मोबाइल टॉवर स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण उपविधि–2017

1. संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ :

   (क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, देहरादून की "मोबाइल टॉवर स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण उपविधि–2017" कहलायेगी।

   (ख) यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

2. परिभाषाएँ :

   (i) "उपविधि" से तात्पर्य, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है;

   (ii) "नगरपालिका परिषद्" से तात्पर्य, संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगरपालिका परिषद् से है;

   (iii) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है;

   (iv) "अध्यक्ष" से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत निर्वाचित अध्यक्ष से हैं;

   (v) "बोर्ड" से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत निर्वाचित बोर्ड से हैं;

   (vi) "निरीक्षण अधिकारी" से तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी द्वारा मोबाइल टॉवरों के निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है;

   (vii) "अधिनियम" से तात्पर्य, उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त), से हैं;

   (viii) "मोबाइल टॉवर" से तात्पर्य, विभिन्न मोबाइल निजी कम्पनियों द्वारा नगरपालिका सीमान्तर्गत निजी, सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्तियों पर स्थापित मोबाइल टॉवर से हैं।

3. नगरपालिका परिषद्, विकासनगर द्वारा पालिका आय में वृद्धि एवं जनहित में नगरपालिका सीमान्तर्गत विभिन्न कम्पनियों द्वारा स्थापित किये गये या स्थापित किये जाने वाले मोबाइल टॉवरों के संचालन एवं नियन्त्रण हेतु निम्नलिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, विकासनगर के कार्यालय में आवेदन कर अनुमति प्राप्त करनी होगीः–

(क) पालिका सीमान्तर्गत वर्तमान में स्थापित मोबाइल टॉवर या भविष्य में स्थापित होने वाले मोबाइल टॉवर की मोबाइल कम्पनियाँ निजी भूमि, छत, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी सम्पत्तियों पर टॉवर लगाने से पूर्व नगरपालिका का शुल्क जमा कर अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

(ख) विकासनगर शहर में जिस भूमि व स्थान पर मोबाइल टॉवर स्थापित है या स्थापित होना है, उसका मानचित्र, कवर्ड भूमि का क्षेत्रफल एवं उस क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(ग) मोबाइल कम्पनियों द्वारा भू–स्वामी से मोबाइल टॉवर लगाने हेतु किये गये अनुबन्ध की प्रति एवं टॉवर की क्षमता के प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे।

(घ) मोबाइल टॉवर स्थापित एवं संचालित होने के उपरान्त मोबाइल कम्पनियों द्वारा विकासनगर शहर से अर्जित आय का ब्यौरा प्रतिवर्ष सी0एस0 से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) लोक सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत मोबाइल कम्पनियों द्वारा स्थापित टॉवर का तकनीकी परीक्षण कराकर जाँच रिपोर्ट की एक प्रति एवं जनस्वास्थ्य पर मोबाइल टॉवर द्वारा निकलने वाले रेडियेशन (तरंगे) आदि से कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा।

4. पालिका सीमान्तर्गत वर्तमान में स्थापित मोबाइल टॉवर कम्पनियों द्वारा भू–स्वामी से किये गये अनुबन्ध की प्रतियाँ, भूमि का क्षेत्रफल एवं निर्धारित मासिक एवं वार्षिक किराया की धनराशि व लीज का विवरण देना होगा। यदि मोबाइल कम्पनियों द्वारा यह विवरण नोटिस दिये जाने के 7 दिन के अन्दर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो नगरपालिका अधिनियम, 1916 एवं इस उपविधि के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

5. विकासनगर शहर में स्थापित होने की तिथि से मोबाइल टॉवर द्वारा कम्पनी को प्राप्त आय का विवरण अथवा भविष्य में स्थापित होने वाले मोबाइल टॉवर की आय का विवरण प्रतिवर्ष नगरपालिका परिषद् को देना होगा।

6. नगरपालिका सीमान्तर्गत स्थापित मोबाइल टॉवर के अनुबन्धित किराया एवं विकासनगर शहर से कम्पनियों को प्राप्त आय पर निम्नलिखित शुल्क नगरपालिका कोष में जमा करने होंगेः–

क्र0 सं0	विवरण	शुल्क
1.	मोबाइल टॉवर के अनुबन्धित किराए पर मासिक शुल्क	10 प्रतिशत
2.	मोबाइल कम्पनियों द्वारा मोबाइल टॉवर लगाने की स्वीकृति/अनापत्ति शुल्क	₹ 50,000.00

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) एवं "नगरपालिका मोबाइल टॉवर स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण उपविधि–2017" के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जिसके लिए कम से कम ₹ 5,000.00 एवं अधिक से अधिक 20,000.00 का अर्थदण्ड होगा।

विज्ञप्ति

08 नवम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 771/गजट प्रकाशन/2017–18–नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 एवं "उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक, 2016" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासकीय गजट 18.10.2014 ई0 (आश्विन 26, 1936 शक सम्वत्) को प्रकाशित "नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि–2014" में संशोधन करते हुए, "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं यूजर चार्ज संशोधित उपविधि–2017" गठित की गई है, जिस पर नियत अवधि के अन्दर कोई सुझाव व आपत्ति प्राप्त न होने के फलस्वरूप यह उपविधि नगरपालिका बोर्ड बैठक दिनांक 23.09.2017 के प्रस्ताव सं0–20 द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(2) के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड शासकीय गजट" में प्रकाशित करने हेतु सर्वसम्मति से पुष्टि का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

"ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं यूजर चार्ज संशोधित उपविधि–2017"

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
17. उपरोक्त किसी भी प्राविधान की अवहेलना करने पर प्रथम दोष सिद्धि के लिए ₹ 500.00 तक अर्थदण्ड तथा अवहेलना जारी रहने पर 20.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड देय होगा।	17(1). यह कि उपविधि में दिये गये किसी अधिनियम, नियम एवं नियमावली का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक–अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है या थूकता है तो वह व्यक्ति/परिवार को विनिर्दिष्ट समय के भीतर न्यूनतम ₹ 250.00 व अधिकतम ₹ 500.00 की राशि स्थानीय प्राधिकारी को दण्ड के रूप में भुगतान करनी होगी। 17(2). यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार ₹ 1,000.00, द्वितीय समय ₹ 2,000.00 एवं तृतीय स्थिति में ₹ 5,000.00 की पेनल्टी देनी होगी।
17. अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User Charges) बोर्ड बैठक सं0–05, दिनांक 26.05.2014 द्वारा निर्धारितः–	17. अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User Charges) की दरें:–

क्र0	मद का नाम	डोर–टू–डोर कलेक्शन की दरें	क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग पहुँचाने पर	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक–अजैविक कूड़ा घर/श्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दे
1.	आवासीय भवन (अन्तोदय एवं बी0पी0एल0 कार्डधारक परिवार).	₹ 15.00 प्रतिमाह/प्रति परिवार	1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	5	10	15	20
2.	आवासीय भवन (ए0पी0एल0 कार्डधारक परिवार)	₹ 30.00 प्रतिमाह/प्रति परिवार	2.	मध्यम वर्ग कम आय वाले घर	30	40	30	50
3.	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	₹ 50.00 प्रति माह/प्रति प्रतिष्ठान	3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	30	40	40	70
4.	ढाबा/रेस्टोरेन्ट/भोजनालय	₹ 200.00 प्रतिमाह/प्रति ढाबा/रेस्टोरेन्ट/भोजनालय	4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	100	125
5.	जूस/मीट/फल/सब्जी की दुकान	₹ 200.00 प्रतिमाह/प्रति दुकान	5.	रेस्टोरेन्ट	250	500	200	250

क्र0	मद का नाम	डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन की दरें
6.	धर्मशाला/गुरूद्वारा एवं अन्य धर्मार्थ स्थलों पर होने वाले आयोजन	₹ 300.00 प्रति आयोजन
7.	निजी/सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले विवाह/अन्य आयोजन	₹ 300.00 प्रति आयोजन
8.	वैडिंग प्वाइंट	₹ 1,000.00 प्रति आयोजन
9.	होटल/लॉज	10 कमरे तक ₹ 300.00 प्रतिमाह, 20 कमरे तक ₹ 500.00 प्रतिमाह, 30 कमरे से अधिक ₹ 800.00 प्रतिमाह
10.	समस्त सरकारी कार्यालय, बैंक आदि	₹ 200.00 प्रतिमाह/ प्रति कार्यालय
उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे–भण्डारा, जागरण व शोभा यात्रा व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में उपरोक्त दरें लागू नही होगी।		

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग पहुँचाने पर	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक–अजैविक कूड़ा घर/श्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दे
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	200	300	300	350
7.	धर्मशाला	20	30	40	50
8.	बारातघर	1000	1500	1000	1500
9.	बैकरी	150	200	150	200
10.	कार्यालय	50	100	50	75
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	100	200	200	200
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	20	25	25	25
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	200	400	200	250
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	100	200	150	200
15.	दुकान	100	200	150	175
16.	फैक्ट्री	200	400	300	250
17.	वर्कशॉप/कबाड़ी	1000	1500	500	700
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो	200	500	500	400
20.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	200	400	400	300
उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे–भण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा आदि पर उपरोक्त दरें लागू नही होगी।					

शास्ति

उपरोक्त उपविधि के किसी भाग का उल्लंघन करने पर नगरपालिका अर्थदण्ड वसूल करेगा, जो सेवा शुल्क के निर्धारित दरों का 10 गुणा तक अर्थदण्ड तथा उपविधि के उल्लंघन पर ₹ 200.00 प्रति घन मीटर की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा। निरन्तर उल्लघंन करने की दशा में ₹500.00 प्रति घन मीटर, प्रति दिन की दर से वसूल किया जायेगा।

बी0 एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
विकासनगर।

हरफूल चन्द महावर,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
विकासनगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 हिन्दी गजट/675–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।